(2)

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 10/2022 बउनवानी रामधन बनाम गजानन्द वगै. नि.सालोदा मोड गंगापुर

जीसीएमएस संख्या :– 2022/38

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

10.5.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वंय उपस्थित। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नही होने के कारण रिव्यू प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रार्थी रामधन को सुना गया। प्रार्थी द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा धारा 5 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम की धारा 5 मे न्यायालय भरण पोषण अधिकरण गंगापुर सिटी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 4/2011 मे दिनांक 10.5.2011 को निर्णय दिया गया कि माह मई,2011 से प्रार्थना पत्र के चारो अप्रार्थीगण , प्रार्थी एवं उसकी पत्नि प्रेम देवी को जीवन पर्यन्त 1500–1500/–रू प्रति माह भरण पोषण भत्ता राशि अदा करने के आदेश पारित किये गये थे। अप्रार्थी मुकेश व विनोद से प्रार्थी को नियमित राशि प्राप्त हो रही है किन्तु अप्रार्थी गजानन्द एवं जितेन्द्र ने उक्त आदेश की अपील संख्या 118/11 श्रीमान के न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जिसका निर्णय दिनांक 25.10.2011 को पारित करते हुए अपील निरस्त कर उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के निर्णय दिनांक 10.5.2011 को यथावत रखा गया। उक्तानुसार प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण द्वारा माह मई,2011 से माह दिसम्बर,2021 तक पृथक–पृथक रूप से प्रतिमाह 127 माह का मूलतः 3,81,000/–रू देय था जिसमे से 1,90,500/–रू गजानन्द द्वारा व 1,90,500/– जितेन्द्र द्वारा अलग–अलग देय था जिसमे गजान्नद ने 1,56,750/–रू विभिन्न तरीको से प्रार्थीगण को दिया जा चुका है अब गजानन्द की ओर 33,500/–रू व ब्याज बाकी है। इसी प्रकार अप्रार्थी जितेन्द्र द्वारा प्रार्थीगण को देय 1,90,500/– मे से 1,29,250/–रू भुगतान किया जा चुका है शेष 61,250/– रू व ब्याज बाकी है।

प्रार्थी की ओर से दिनांक 29.9.2020 को उपरोक्त बकाया राशि वसूली हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर आदेशिका दिनांक 18.10.2021 पर उक्त राशि वसूली के आदेश जारी किये गये है। जिसकी अपील अप्रार्थीगण द्वारा श्रीमान के न्यायालय मे अपील 18/2021 प्रस्तुत होने पर श्रीमान के न्यायालय द्वारा दिनांक 11.1.2022 को निर्णय पारित करते हुए अप्रार्थी गजानन्द की ओर 7866/–रू वसूली योग्य बतायी गयी है शेष राशि 25,884/–रू किस आधार पर प्रार्थीगण को देय नही मानी गयी है। इसलिए अपील संख्या 18/2021 में पारित निर्णय दिनांक 11.1.2022 संशोधित किया जाकर प्रार्थी को 25,884/–रू अप्रार्थी गजानन्द से दिलवाये जाने बाबत आदेश प्रदान करने हेतु प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

बाद सुनवायी प्रार्थी एवं पत्रावली संख्या 18/2021 निर्णय दिनांक 11.1.2022 एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निश्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि रिव्यू प्रार्थना पत्र से संबंधित निर्णय दिनांक 11.1.2022 मे कोई विधिक/दस्तावेजी त्रुटि नही है। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड का दोनो पक्षों की उपस्थिति में मिलान करते हुए अप्रार्थी गजानन्द, जितेन्द्र द्वारा किये गये भुगतान का पूर्ण विवरण निर्णय में अंकित किया गया है। इसलिए उक्त निर्णय किसी प्रकार का संशोधन किये जाने की आवश्यकता नही है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि रिव्यू प्रार्थना पत्र के तहत मात्र लिपिकीय त्रुटि को सुधारा जा सकता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी [illegible] रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश आज दिनांक 5.5.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:20:19 IST
Reason: SelfAttested

CS Scanned with CamScanner